फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

54/2023/I/296055/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 29 मार्च, 2022**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी हेतु केन्द्रांश की धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 325.00 करोड़ की अधिकतम लागत स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य व्यय अनुपात 60:40 होगा। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	मे0का0 का नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत	शासनोश दिनांक	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	281.5197	27.03.2020, 13.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	56.20
2	कुशीनगर	281.4501	27.03.2020, 27.08.2021, 03.02.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+	66.67	57.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			28.03.2022	50.00= कुल 100.00		
3	सुल्तानपुर	270.9250	27.03.2020, 28.08.2021, 04.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	56.99
4	गोण्डा	281.7010	27.03.2020, 21.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
5	ललितपुर	287.5747	27.03.2020, 28.08.2021, 23.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
6	लखीमपुर खीरी	288.7095	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	56.72
7	चंदौली	274.1833	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
8	बुलन्दशहर	269.4430	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
9	सोनभद्र	249.9875	27.03.2020, 28.08.2021, 03.02.2022 28.03.2022	12.00+ 30.00+ 08.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
10	पीलीभीत	284.6080	27.03.2020, 27.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
11	औरैया	280.1657	27.03.2020,	12.00+	66.67	57.00

http://shasanadesh.up.nic.in

			28.08.2021 28.03.2022	38.00+ 50.00= कुल 100.00		
12	कानपुर देहात	283.3756	27.03.2020, 28.08.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	56.43
13	कौशाम्बी	330.6280	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022	12.00+ 38.00+ 50.00= कुल 100.00	66.67	57.00
			कुल योग	1300.00	866.71	739.34

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु वांछित केन्द्रांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलेन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष भारत सरकार से जनरल कम्पोनेंट के अन्तर्गत आवंटित केन्द्रांश रू0 739.34 करोड़ (उपर्युक्त तालिका के कालम-7 के अनुसार) प्रत्येक मेडिकल कालेज हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त 13 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031050109 (मेडिकल कालेज, बिजनौर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050109 मेडिकल कालेज, बिजनौर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	56,20,00,000 (रुपये छप्पन करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**56,20,00,000** **(रुपये छप्पन करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050110 (मेडिकल कालेज, कुशीनगर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	031	4210031050110 मेडिकल कालेज, कुशीनगर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050111 (मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050111 मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	56,99,00,000 (रुपये छप्पन करोड़ निन्यानबे लाख मात्र)
	कुल			**56,99,00,000** **(रुपये छप्पन करोड़ निन्यानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050112 (मेडिकल कालेज, गोण्डा (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050112 मेडिकल कालेज, गोण्डा (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050113 (मेडिकल कालेज, ललितपुर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050113 मेडिकल कालेज, ललितपुर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050114 (मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050114 मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	56,72,00,000 (रुपये छप्पन करोड़ बहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**56,72,00,000** **(रुपये छप्पन करोड़ बहत्तर लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 4210031050115 (मेडिकल कालेज, चन्दौली (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050115 मेडिकल कालेज, चन्दौली (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050116 (मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050116 मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050117 (मेडिकल कालेज, सोनभद्र (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050117 मेडिकल कालेज, सोनभद्र (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050118 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050118 मेडिकल कालेज, पीलीभीत (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050119 (मेडिकल कालेज, औरैया (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050119 मेडिकल कालेज, औरैया	24 वृहत् निर्माण	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(के.60/रा.40-के.)	कार्य	
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050120 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050120 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	56,43,00,000 (रुपये छप्पन करोड़ तैतालिस लाख मात्र)
	कुल			**56,43,00,000** **(रुपये छप्पन करोड़ तैतालिस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031050121 (मेडिकल कालेज, कौशाम्बी (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	4210031050121 मेडिकल कालेज, कौशाम्बी (के.60/रा.40-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	57,00,00,000 (रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)
	कुल			**57,00,00,000** **(रुपये सत्तावन करोड़ मात्र)**

महायोग	7,39,34,00,000 (रुपये सात अरब उनतालीस करोड़ चौतीस लाख मात्र)

के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-629/दस-2022-23, दिनांक 29 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/द्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।